प्रेस नोट
दिनांक 06.11.2025, 25वीं गोरखपुर जोन अन्तर्जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2025
जनपद – गोण्डा

पुलिस लाइन गोण्डा क्रिकेट ग्राउण्ड में 25वीं अन्तर्जनपदीय, गोरखपुर जोन, क्रिकेट प्रतियोगिता (पुरुष) -2025 का भव्य शुभारम्भ-

पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमित पाठक द्वारा बल्ले से शॉट खेलकर प्रतियोगिता का आगाज किया गया-

आज दिनांक 06.11.2025 को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा के क्रिकेट ग्राउण्ड में गोरखपुर जोन की 25वीं अन्तर्जनपदीय क्रिकेट (पुरुष) प्रतियोगिता-2025 का शुभारम्भ बड़े उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमित पाठक का भव्य आगमन हुआ, जिनका स्वागत अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा (पूर्वी) श्री मनोज कुमार रावत द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट करके रोजेट / कैप लगाकर किया गया। इसके पश्चात पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा (पूर्वी) व अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा (पश्चिमी) की मौजूदगी में सभी टीम मैनेजरों से परिचय प्राप्त किया गया तथा प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। तत्पश्चात सभी टीमों ने अनुशासित एवं सटीक तालमेल के साथ बैण्ड द्वारा बजाई गई मधुर ध्वनि पर मार्चपास्ट की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। जिसमें प्रतिभागी खिलाड़ियों ने अनुशासित कदमताल के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया । तत्पश्चात मेजबान टीम (गोण्डा) के कप्तान द्वारा शपथ ग्रहण की कार्यवाही सम्पन्न की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने निष्पक्ष खेल, अनुशासन एवं परिश्रम के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का संकल्प लिया । श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा महोदय द्वारा अपने संबोधन में यह कहते हुए खिलाड़ियों को प्रेरित किया गया कि “खेल न केवल शारीरिक स्फूर्ति प्रदान करते हैं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की पहचान भी हैं। सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन का परिचय दें।" तत्पश्चात श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा अम्पायरों एवं उद्घाटन मैच में प्रतिभाग कर रही जनपद गोरखपुर व जनपद संत कबीर नगर के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया । श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री मनोज कुमार रावत के द्वारा फेंकी गई गेंद को बल्ले से शॉट खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया । इस प्रतियोगिता में गोरखपुर जोन के 10 जनपदों- जनपद गोण्डा, जनपद गोरखपुर, जनपद संतकबीरनगर, जनपद देवरिया, जनपद बहराइच, जनपद श्रावस्ती, जनपद बलरामपुर, जनपद महाराजगंज, जनपद सिद्धार्थनगर व जनपद कुशीनगर की पुलिस टीमों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है । इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 06.11.25 से 09.11.2025 को किया जायेगा।

इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक श्री अजय प्रताप सिंह सहित जनपद के वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस कर्मी, खेल अधिकारी, पत्रकार बंधु एवं बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे । पुलिस लाइन परिसर खेल भावना, उत्साह एवं जोश से सराबोर रहा ।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 06.11.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, चोरी किये गये गहने व 01 अदद बैटरी रिक्शा बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 505/2025 धारा 331(4),305 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्तगण 01. छोटू उर्फ बाजी पुत्र समी अख्तर उम्र करीब 22 वर्ष तथा 02. मो0 शरीफ उर्फ बाड़े पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लालू उम्र करीब 30 वर्ष को आंगनबाड़ी केन्द्र काजी तरहर के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 05 जोड़ी पाजेब सफेद धातु की (इस्तेमाली), 06 जोड़ी बिछुआ, 08 जोड़ी पाजेब, 02 अदद एण्ड्रायड मोबाइल, रुपये 2600/- व 01 अदद बैटरी रिक्शा लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 03/04.11.25 की रात को थाना को0 देहात क्षेत्र के पाण्डेयपुर चौराहा पर स्थित सूरज ज्वैलर्स की दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़ कर जेवरात रखने वाली अलमारी उठा ले गये जिसमें सोने व चांदी के आभूषण थे । दुकान के मालिक सूरज सोनी पुत्र स्व० भीमचन्द्र सोनी निवासी ग्राम पूरे तिवारी खोरहंसा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 06.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी अभियुक्तगण 01. छोटू उर्फ बाजी पुत्र समी अख्तर उम्र करीब 22 वर्ष तथा 02. मो0 शरीफ उर्फ बाड़े पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लालू उम्र करीब 30 वर्ष को आंगनबाड़ी केन्द्र काजी तरहर के पास से गिरफ्तार कर कर उनके कब्जे से 05 जोड़ी पाजेब सफेद धातु की (इस्तेमाली), 06 जोड़ी बिछुआ, 08 जोड़ी पाजेब, 02 अदद एण्ड्रायड मोबाइल, रुपये 2600/- व 01 अदद बैटरी रिक्शा लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. छोटू उर्फ बाजी पुत्र समी अख्तर
02. मो0 शरीफ उर्फ बाड़े पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लालू नि0गण ग्राम पूरे तिवारी थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0 505/2025 धारा 331(4),305 बीएनएस थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 05 जोड़ी पाजेब सफेद धातु की (इस्तेमाली)
02. 06 जोड़ी बिछुआ
03. 08 जोड़ी पाजेब
04. 02 अदद एण्ड्रायड मोबाइल
05. रुपये 2600/-
07. 01 अदद बैटरी रिक्शा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 वीरपाल सिंह
02. हे0कां0 यशवन्त यादव
03. हे0कां0 कमलेश यादव
04. कां0 उज्जाला कुमार सिंह
05. कां0 अजय प्रताप सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 06.11.2025

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत जनपदीय एण्टीरोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक-

गोण्डा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के राजपत्रित अधिकारी व एण्टी रोमियो स्क्वायड टीमों द्वारा आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। इस दौरान टीमों ने गांवों, कस्बों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल लगाकर स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया।

कार्यक्रम में टीमों ने महिलाओं/बालिकाओ को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय, और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। मिशन शक्ति की महिला पुलिसकर्मियों ने उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं से उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी ली और आने-जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों पर सुझाव भी प्राप्त किए तथा फीडबैक फार्म भरवाकर हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित किया गया साथ ही महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए उपलब्ध है साथ ही एण्टीरोमियों स्क्वायड टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में विस्तार से बताया गया, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है-

112- पुलिस आपातकालीन सेवा
1090- वूमेन पावर हेल्पलाइन
1076- माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
108- एंबुलेंस सेवा
1930- साइबर अपराध हेल्पलाइन
1098- चाइल्ड हेल्पलाइन
102- स्वास्थ्य सेवा

इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों, जैसे अज्ञात कॉल या संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना, बैंक संबंधी धोखाधड़ी से बचाव, और सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों की जानकारी दी गई। टीमों द्वारा यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य न केवल महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना भी है, ताकि वे हर परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

प्रेस नोट
दिनांक 06.11.2025

थाना तरबंगज पुलिस द्वारा कूटरचित नोटरी/अनापत्ति शपथ पत्र तैयार कर मृतक आश्रित कोटे से लेखपाल की नौकरी प्राप्त करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0–470/2023, धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त त्रियम्बकनाथ तिवारी पुत्र स्व0 त्रिलोकीनाथ तिवारी नि0 ग्राम ढोढेपुर बरगदिहनपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी गिरिजाशंकर तिवारी पुत्र स्व० त्रिलोकीनाथ तिवारी निवासी ढोढेपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 19.12.2023 को थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी के भाई त्रियंबक नाथ तिवारी द्वारा मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु कूटरचित नोटरी शपथ पत्र तैयार कर प्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षर व फोटो लगाकर लेखपाल की नौकरी प्राप्त कर ली है तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 06.11.2025 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त त्रियम्बक नाथ तिवारी को रेतादल बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध द्वारा तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. त्रियम्बकनाथ तिवारी पुत्र स्व0 त्रिलोकीनाथ तिवारी नि0 ग्राम ढोढेपुर बरगदिहनपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–470/2023, धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. नि0 राजकुमार यादव।
02. हे0का0 गोविन्द सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 06.11.2025

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश सिंह के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–405/25, धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त– विनय गांधी उर्फ विनय गोस्वामी पुत्र संजय गांधी निवासी टेपरा कुंवरपुर अमरहा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा को कुट्टी कोचाकासिमपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.10.2025 को वादिनी भरैला देवी निवासी ग्राम जगता जरलपुर, थाना हुजूरपुर, जनपद बहराइच द्वारा थाना को0 कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री की शादी दिनांक 14.12.2022 को थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम टेपरा कुँवरपुर अमरहा निवासी विनय गांधी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी पुत्री को उसके पति व परिजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था तथा आज दिनांक 05.10.2025 दहेज की मांग के चलते प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 कर्नलगंज में नामजद 04 अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 06.11.2025 को थाना को0 कर्नलागंज पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त(पति)– विनय गांधी उर्फ विनय गोस्वामी पुत्र संजय गांधी निवासी टेपरा कुंवरपुर अमरहा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा को कुट्टी कोचाकासिमपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. विनय गांधी उर्फ विनय गोस्वामी पुत्र संजय गांधी निवासी टेपरा कुंवरपुर अमरहा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–405/25, धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 सुधीर यादव।
02. उ0नि0 अभिनव भरत सिंह।
03. का0 सत्येन्द्र कुमार प्रथम।
04. म0का0 रश्मि गौतम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 06.11.2025

थाना परसपुर पुलिस द्वारा गो तस्करी करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0—05/24, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0, 11 पशु क्रूरता अधि0 व 207 एम0वी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बग्घा पुत्र लाला निवासी भगवानपुरा थाना पारोली जिला भीलबाड़ा (राजस्थान) को मोतीपुर गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 05.01.2024 को तत्कालीन चौकी प्रभारी शाहपुर उ0नि0 बृजेश गुप्ता मय हमराह टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम बहुवन मदार माझा के पास बन्धे के समीप की गयी छापेमारी के दौरान एक कन्टेनर से कुल 04 अदद गोवंश निर्दयता पूर्वक बाँधे हुए बरामद किये गए थे। मौके से दो मोटरसाइकिलें भी बरामद की गयीं। पुलिस की घेराबंदी देखकर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गये थे। बरामद गोवंशों को डाक्टरी परीक्षण हेतु भेजा गया एवं सुरक्षित रूप से गौशाला डेहरास में संरक्षित कराया गया। बरामद वाहन व मोटरसाइकिलों को धारा 207 एम0वी0 एक्ट के तहत सीज कर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 06.11.2025 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त— बग्घा पुत्र लाला निवासी भगवानपुरा थाना पारोली जिला भीलबाड़ा (राजस्थान) को मोतीपुर गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. बग्घा पुत्र लाला निवासी भगवानपुरा थाना पारोली जिला भीलबाड़ा (राजस्थान)।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0स0—05/24, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम—

01. उ0नि0 सावन सिंह।
02. कां0 अभिषेक यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 06.11.2025

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस अभियुक्त रामतौल वर्मा पुत्र बेचू वर्मा निवासी ग्राम नरैचा थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

थाना खोड़ारे क्षेत्र का एक वीडियो दिनांक 01.11.2025 सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक द्वारा तमंचे से हर्ष फायरिंग करते हुए देखा गया था। इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा उक्त युवक की शीघ्र गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्यवाही करने के आदेश थानाध्यक्ष खोड़ारे को दिए गए थे। उक्त आदेश के अनुपालन में थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा सतर्कता व तत्परता से कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 06.11.2025 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान हर्ष फायरिंग करने वाले अभियुक्त रामतौल वर्मा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रामतौल वर्मा पुत्र बेचू वर्मा निवासी ग्राम नरैचा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–300/2025, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 श्री प्रेमचन्द सिंह।
02. हे0का0 फिरोज अहमद।
03. का0 मनोज कुमार यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 06.11.2025

पुलिस लाइन गोण्डा क्रिकेट ग्राउण्ड में 25वीं अन्तर्जनपदीय, गोरखपुर जोन, क्रिकेट प्रतियोगिता (पुरुष) –2025 का भव्य शुभारम्भ–

गोण्डा। आज दिनांक 06 नवम्बर 2025 को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित क्रिकेट ग्राउण्ड में गोरखपुर जोन की 25वीं अन्तर्जनपदीय क्रिकेट (पुरुष) प्रतियोगिता–2025 का शुभारम्भ पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमित पाठक द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर एवं खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर बड़े उत्साह व हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस प्रतियोगिता में गोरखपुर जोन के 10 जनपदों– गोण्डा, गोरखपुर, संतकबीरनगर, देवरिया, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर एवं कुशीनगर की पुलिस टीमों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन 06 नवम्बर से 09 नवम्बर 2025 तक किया जाएगा। प्रतियोगिता के प्रथम दिन पहला मैच पूल–बी की टीमों गोरखपुर बनाम संतकबीरनगर के बीच खेला गया, जिसमें संतकबीरनगर टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी। गोरखपुर टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 04 विकेट पर 216 रन बनाए, जिसमें रवि चौधरी ने 56 गेंदों में नाबाद 147 रन की शानदार पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी संतकबीरनगर टीम 16 ओवर में 08 विकेट खोकर 107 रन ही बना सकी। इस मैच में गोरखपुर टीम के रवि चौधरी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' तथा संतकबीरनगर टीम के प्रशान्त त्रिपाठी को 'बेस्ट बॉलर' घोषित किया गया, जिन्होंने 04 ओवर में 29 रन देकर 03 विकेट लिए। दूसरा मैच पूल–ए की टीमों श्रावस्ती व देवरिया के बीच हुआ, जिसमें श्रावस्ती टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 10 विकेट पर 113 रन बनाए। देवरिया टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 14.2 ओवर में 06 विकेट खोकर 114 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस मैच में देवरिया टीम के रवि को 'प्लेयर ऑफ द मैच' एवं 'बेस्ट बॉलर' घोषित किया गया, जिन्होंने 13 गेंदों में 18 रन बनाए व 04 ओवर में 25 रन देकर 04 विकेट लिए। प्रतियोगिता के दौरान कमेंट्री का संचालन अजय कुमार पाण्डेय व आनन्द कुंवर भट्ट द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने जोशपूर्ण अंदाज़ में खिलाड़ियों व दर्शकों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता का समापन व फाइनल मुकाबला दिनांक 09 नवम्बर 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें विजेता एवं उपविजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 06.11.2025

"यातायात माह नवम्बर–2025" के तहत पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन माँ पार्टेश्वरी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, के विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में यातायात माह नवम्बर–2025 के अंतर्गत जनपद के विभिन्न शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक स्थलों एवं चौक–चौराहों पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जन–जागरूकता अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 06.11.2025 को यातायात उपनिरीक्षक संजय कुमार चौबे मय टीम द्वारा माँ पार्टेश्वरी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोंडा में पहुँचकर विद्यार्थियों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं तथा पम्पलेट वितरित कर जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान टीम द्वारा उपस्थित छात्र–छात्राओं, विशेषकर एनसीसी के लगभग 600 कैडेट्स, को सड़क पर चलते समय पालन किए जाने वाले आवश्यक नियमों जैसे– हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना, नशे की हालत में वाहन न चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करना, सड़क पार करते समय ट्रैफिक सिग्नल एवं ज़ेब्रा क्रासिंग का प्रयोग करना आदि के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। साथ ही छात्रों को यह भी अवगत कराया गया कि यातायात नियमों की अनदेखी न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी ख़तरा उत्पन्न कर सकती है। कार्यक्रम में उपस्थित एनसीसी कैडेट्स एवं कॉलेज के विद्यार्थियों ने यातायात नियमों के पालन करने एवं दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पुलिस टीम ने विद्यार्थियों से यह भी अपील की कि वे स्वयं सुरक्षित वाहन चलाने की आदत डालें तथा अपने परिजनों और मित्रों को भी ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु प्रेरित करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और जनपद गोण्डा को "सुरक्षित यातायात वाला जनपद" बनाया जा सके।

यातायात टीम द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण संदेश–

01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।
02. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।
03. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
04. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
05. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना व निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
06. दायें–बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें।
06. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएं।
07. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
08. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाना आवश्यक है।
09. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहनों को जाने हेतु पहले रास्ता प्रदान करें।
10. नशे अथवा मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं।
11. सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट न करें।
12. सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों की मदद करें एवं 112 डायल कर सूचना दें।

मीडिया सेल, गोण्डा।